सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-28.02.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री मनोज मंजिल, स०वि०स० श्री अजीत कुमार सिंह, स०वि०स० श्री संदीप सौरभ, स०वि०स० श्री महबूब आलम, स०वि०स० डॉ० सत्येन्द्र यादव, स०वि०स० श्री रामबली सिंह यादव, स०वि०स०	"शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(C) का राज्य में अधिकांश पंजीकृत निजी विद्यालयों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत निजी स्कूलों में एन्ट्री-लेवल पर 25 प्रतिशत सीटें उन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती है जो सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर हैं । बिहार सरकार द्वारा लगभग 7000/- से 8000/- रुपया प्रति छात्र प्रति वर्ष स्कूलों को दिया जाता है और इस निमित्त बिहार सरकार द्वारा राज्य में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 67 करोड़ की राशि भी जारी की गई है । राज्य के अधिकांश प्राइवेट स्कूलों द्वारा इस सन्दर्भ में पारदर्शिता नहीं अपनाई जा रही है जिससे वंचित समाज के बच्चे शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित हो रहे हैं । अत: शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(C) को राज्य में अक्षरश: लागू कराने एवं सभी जिला समाहरणालय / जिला शिक्षा पदाधिकारी के वेबसाईट पर स्कूलवार छात्र एवं विहित प्रक्रियाओं का विवरण अपलोड करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

2. श्री अजीत शर्मा, स०वि०स० श्री छत्रपति यादव, स०वि०स० श्री अली अशरफ सिद्दिकी, स०वि०स० श्री अजय कुमार सिंह, स०वि०स० श्रीमती नीतु कुमारी, स०वि०स०	"राज्य में सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति / जनजाति तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के युवक-युवतियों को बी०पी०एस०सी० तथा यू०पी०एस०सी० की प्रारम्भिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु क्रमशः 50 हजार रुपये एवं एक लाख रुपये प्रोत्साहन दिया जाता है । इस योजना से सामान्य वर्ग वंचित है । माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2021 को गाँधी मैदान से घोषणा की गई कि सरकार द्वारा सामान्य वर्ग की युवतियों के लिए भी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना शुरू की जायेगी परन्तु उससे संबंधित आदेश निर्गत नहीं हुआ है । अभी भी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लाभ से सामान्य वर्ग के युवा वंचित हैं, जिससे सामाजिक भेदभाव बढ़ता है । इसे दूर किया जाना आवश्यक है । अतः सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत सामान्य वर्ग के सभी युवाओं को भी आच्छादित किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	सामान्य प्रशासन

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-01/2022- 672 / वि०स०, पटना, दिनांक- 26 फरवरी, 2022 ई० ।

प्रतिः- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26/2/22
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-01/2022- 672 / वि०स०, पटना, दिनांक- 26 फरवरी, 2022 ई० ।

प्रतिः- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26/2/22
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-01/2022- 672 / वि०स०, पटना, दिनांक- 26 फरवरी, 2022 ई०।

प्रतिः- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/22

(राजीव कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-01/2022- 673 / वि०स०, पटना, दिनांक- 26 फरवरी, 2022 ई०।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं संयुक्त सचिव के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/22

(राजीव कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

28/2/22